(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)
O.I.G.S.
डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2018-20

राजस्थान
रोज़गार संदेश
(पाक्षिक)

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 44 अंक 11 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 15 जुलाई, 2021 फोन : 2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु.

15 जुलाई - विश्व युवा कौशल दिवस

हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 65 प्रतिशत 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं का है। युवाओं का यह प्रतिशत हमारे लिए एक सम्पदा के रूप में परिलक्षित हो सके व हमारा राष्ट्र आर्थिक - सामाजिक प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके, इसके लिए युवाओं का किसी न किसी विधा में कौशल व ज्ञान से परिपूर्ण होना आज के समय की महती आवश्यकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम इस दिशा में कार्यशील हैं जिनका उद्देश्य युवाओं को कई क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगारपरक क्षमता बढाना है।

वर्ष 2015 में **"स्किल इण्डिया" (कुशल भारत, कौशल भारत)** नामक अभियान लांच किया गया था। जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से भी अधिक लोगों को विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र में अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई है और कौशल विकास के कार्य को गति देने के लिये **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम** (एनएसडीसी) की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में राज्य में **राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम** (आरएसएलडीसी) स्थापित है जो राज्य में कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में सहयोग कर रहा है। रोजगार का तात्पर्य मात्र सरकारी नौकरी से नहीं है। रोजगार का तात्पर्य है आजीविका कमाना जो निजी क्षेत्र की कम्पनियों एवं संस्थाओं में कार्य करके एवं उद्यमशीलता विकसित कर भी प्राप्त की जा सकती है । इसके लिये व्यक्ति को किसी व्यवसाय में तकनीकी रूप से **कुशल (स्किल्ड)** होना चाहिये। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनायें इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रही हैं।

कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग (डीएसईई), राजस्थान सरकार

राज्य सरकार द्वारा मई 2015 में युवाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता को विकसित करने की दृष्टि से एक नये विभाग - **कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग** का गठन किया गया। विभाग के निर्माण के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण)/आईटीआई, रोजगार तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) में प्रभावी समन्वय बन गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन एवं उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का क्रियान्वयन एक ही छत के नीचे किया जा रहा है ताकि युवाओं के लिए रोजगार प्राप्ति का मार्ग अधिक प्रशस्त किया जा सके।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)

राजस्थान सरकार द्वारा सितम्बर 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **"राजस्थान आजीविका मिशन"**(RMOL) का गठन किया गया था। मिशन का उद्देश्य राज्य के युवाओं को लाभदायक एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा बेहतर एवं दीर्घकालीन रोजगार के अवसर प्रदान कराना एवं गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं के आजीविका प्रोत्साहन हेतु उचित एवं अभिनव प्रयोग करना एवं नीति निर्धारण करना था।

वर्ष 2009 में बजट घोषणा के अनुसार मिशन के नाम में **"कौशल"** शब्द जोड़कर इसे राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया। इस मिशन को विधिक मान्यता प्रदान करने हेतु इसे दिनांक 17.08.2010 को कंपनी अधिनियम की धारा 25 में पंजीकृत करा दिया गया। बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अनुसरण में राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन को मई 2012 में परिवर्तित कर **"राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम"** बनाया गया।

(क्रमशः)

निगम के उद्देश्य

- प्रदेश के युवाओं में कार्य से सम्बन्धित दक्षताओं का विकास कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका व रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
- प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जहाँ कुशल मानव संसाधन अनुपलब्ध/अपर्याप्त हैं उन क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना।
- प्रदेश में आजीविका एवं कौशल विकास हेतु नीति निर्माण का कार्य करना व कौशल विकास कार्यक्रमों की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
- प्रदेश के गरीब, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं का कौशल विकास तथा आजीविका सृजन हेतु विशेष योजनाऐं तैयार कर लागू करना।
- प्रदेश में राजकीय एवं निजी एजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना कर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
- प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के प्रति आकर्षित करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।

निगम द्वारा संचालित योजनाऐं

भोर
(Bhikshuk Orientation & Rehabilitation)
भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा पुनर्वास

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के नेतृत्वकारी मार्गदर्शन एवं माननीय राज्य कौशल विकास मंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा अनूठी पहल करते हुए जयपुर शहर के भिक्षुकों का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में पुलिस आयुक्तालय, जयपुर द्वारा सहभागिता निभाते हुए जयपुर शहर में भिखारियों का सर्वेक्षण किया गया था। कुल 1162 भिखारी जो शहर के विभिन्न मंदिरों, ट्रैफिक बत्तियों, चैराहों, अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगकर अपना जीविकोपार्जन करते हुए पाये गये। इन 1162 भिखारियों में से 898 भिखारियों ने कौशल प्रशिक्षण कर रोजगार/स्वरोजगार द्वारा जीविकोपार्जन करने में रूचि दिखाई।

निगम की इस पहल में 100 भिखारियों का कौशल प्रशिक्षण द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम **(Bhikshuk Orientation & Rehabilitation – BHOR)** जयपुर में आरम्भ किया गया है जिसमें भिखारियों को उनकी रूचि अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

इस पहल को सर्वप्रथम पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वर्तमान में तीन पूर्णतः आवासीय कौशल प्रशिक्षण केन्द्र आरएसएलडीसी द्वारा सूचीबद्ध निम्न प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा आरम्भ किया गया है-

क्र. सं.	प्रशिक्षण प्रदाता संस्था	कौशल प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षुओं की संख्या
1	सोपान इन्टीट्यूट ऑफ साइन्स टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंन्ट	राजपूत छात्रावास, महल रोड, जगतपुरा	40
2	मैसर्स प्रयास जेऐसी सोसायटी	यादव फार्म हाउस, शिवम होटल के पास, रामचन्द्रपुरा अजमेर रोड, जयपुर	20
3	मैसर्स ग्रीन लाइन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	श्री श्री रवि भांकर आश्रम, प्रताप नगर पुलिस थाने के पास, सेक्टर-26, प्रतापनगर जयपुर	40

प्रशिक्षण से पूर्व पुलिस आयुक्तालय, जयपुर द्वारा इन भिखारियों की पहचान कर इनकी कोविड-19 परीक्षण करवाया गया एवं भिखारियों की निगेटिव रिपोर्ट आने के उपरांत उन्हें कौशल प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।

प्रारंभिक परिवर्तन

भोर-BHOR कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं :-

प्रशिक्षण पूर्व ग्रूमिंग एवं काउंसलिंग :- प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ में पहले 15 दिवसीय काउन्सलिंग सत्र रखा गया है ताकि ऐसे व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण की महत्ता से पूर्णतः अवगत करा कर उन्हें व्यावहारिक परिवर्तन उपरांत मानसिक रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके। काउन्सलिंग का कार्य प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियुक्त अनुभवी काउन्सलर्स द्वारा किया जा रहा है। भिक्षुक होना परिस्थितिजन्य होने के अतिरिक्त एक प्रवृत्ति के रुप में भी देखा गया है, अतः मनोस्थिति में सकारात्मक सोच लाने, भिक्षावृत्ति को अभिशाप के रुप में समझ पाने, जीवन के खुबसूरत पहलुओं को समझने व स्वीकार करने के लिये प्रशिक्षण के पूर्व विशेष सत्र व गतिविधियों को शामिल किया गया है।

रोजगार/स्वरोजगार के अवसर :- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समापन के उपरांत प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों को न्यूनतम छः माह का हैंड-होल्डिंग सपोर्ट दिया जायेगा जिसके अंतर्गत उन्हें किसी रोजगार में लगाया जा सके अथवा स्वरोजगार हेतु बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से लोन दिलाया जा सके। इसके अतिरिक्त उत्पाद का निर्माण, मार्केटिंग इत्यादि पर भी आवश्यक हैंड-होल्डिंग सपोर्ट किया जायेगा।

पात्रता में छूट :- भिक्षावृति में लिप्त अधिकतर व्यक्तियों के अनपढ़ एवं अलग-अलग आयु सीमा के होने के कराण पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं आयु में पूर्णतः छूट दी गई है।

प्रतिदिन भत्ता :- भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों को स्वयं व उनके परिवार के भरण पोषण हेतु कौशल प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता राशि (225 रू. प्रतिदिन प्रति कार्यदिवस) प्रदान की जायेगी ताकि निष्ठा के साथ ये अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर पायें।

आवासीय प्रशिक्षण :- ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः आवासीय है जिसमें रहने

(क्रमशः)

व खाने की उत्तम व्यवस्था स्थापित की गई है, जिससे प्रशिक्षण के वातावरण में निरन्तर सीखते रहें एवं साथ ही भिक्षावृति के वातावरण से अलग रहें।

चिकित्सा सुविधा :- प्रशिक्षण के दौरान इनकी कोविड एवं अन्य जरूरी जांचे करवाई गयी है। समय-समय पर इनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

खेल एवं अन्य गतिविधियाँ -

प्रशिक्षण के दौरान इनके लिये योगा, इनडोर व आउटडोर खेल एवं अन्य गतिविधियां भी प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा करवायी जा रही है ताकि व्याहारिक एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो सकें। निगम द्वारा इन भिक्षुकों को नए गणवेश भी प्रदान किये गये है।

रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (RAJKViK)

युवाओं को कम अवधि के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके राज्य में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP) योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं के कौशल की आवश्यकता को पूरा करना और औद्योगिक मांग के अनुरूप रोजगार को बढ़ावा देना था। ELSTP योजना के सफल क्रियान्वयन एवं गत वर्षों में मिली सीख, चुनौतियों तथा वर्तमान में बदलते औद्योगिक परिदृश्य, रोजगार प्राथमिकताओं के साथ समन्वयीत करने और योजना को अधिक उपयोगी बनाने के लिए ELSTP योजना को संशोधित किया है। इसलिए माननीय मंत्री, कौशल, रोजगार, उद्यमिता, खेल और युवा मामले, राजस्थान द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नई योजना को रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा और इस योजनान्तर्गत शीघ्र ही कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।

रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (RAJKViK) का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को बाजार-प्रासंगिक कौशल का पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य राज्यान्तर्गत प्रतिभा के विकास के अवसर बढ़ाकर उद्योग आधारित मांग के अनुसार जो क्षेत्र कौशल विकास की दृष्टि से अल्पविकसित है उन क्षेत्रो में रोजगारउन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उद्योगों की मांग की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य के समग्र विकास में योगदान प्रदान करना है।

योजना के मुख्य आर्कषण

1. राजस्थान के प्रत्येक जिले में निगम के सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सुव्यवस्थित कौशल विकास केन्द्र (SDC) की उपलब्धता।
2. 100% राज्य सरकार वित्त पोषित योजना जिसमें आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नि:शुल्क प्रशिक्षण की सुविधा।
3. 35 आर्थिक सेक्टर में 334 पाठयक्रमों के तहत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपलब्धता।
4. विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित करने और कौशल परिस्थितिकी तंत्र में नवाचार लाने के लिए स्टार्ट अप्स का कवरेज।
5. सुनिश्चित रोजगार प्राप्ति के लिए आरटीडी मॉडल (रिक्रूट, ट्रेन एंड डिप्लॉयमेंट) के तहत भी कौशल प्रशिक्षण।
6. सभी प्रकार के कौशल पाठयक्रमों हेतु उच्च गुणवता एवं योग्यता वाले प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
7. प्रशिक्षण व्यावहारिक ज्ञान के लिए संबंधित उपक्रम में ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) का प्रावधान।
8. राज्य की अनियमित एवं अप्रमाणित श्रमिकों/कार्मिकों के कौशल अनुभव को प्रमाणीकरण की सुविधा।
9. प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद रोजगार के अवसर।
10. उद्योग की मांग के अनुसार प्रमुख आर्थिक क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण का प्रावधान।

प्रशिक्षण की पात्रता

आयु :- 15-35 वर्ष (प्रशिक्षणार्थियों की न्यूनतम/अधिकतम आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ की तिथि के आधार पर मान्य होगी) महिलाओं एवं विशेष योग्यजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

शैक्षणिक योग्यता :- समस्त इच्छुक युवा/महिलाऐं/विशेष योग्यजन जो कि संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पाठयक्रमों/जॉब रोल की सूची में उल्लेखित अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते है।

नोटः- स्कूल अथवा कॉलेज के नियमित छात्रों का चयन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नही किया जाएगा।

समर्थ
SAMARTH कौशल से आत्मनिर्भर

समर्थ योजना का गठन विशेष वर्ग को कौशल प्रदान करके स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये किया गया। इस योजना का संचालन सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है। योजना का उदेद्श्य राज्य की महिलाओं, विशेष एवं वंचित वर्गों, पिछड़े एवं हाशिये पर मौजूद परिवारों के लोगों को स्वरोजगार एवं उद्यमिता आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपनी आय सृजन क्षमता व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है।

योजना के लाभार्थी (Benificiaries of Scheme) :- विशेष योग्य जन, कारागारबन्दी, नारीनिकेतन, किशोरगृह/बालिकागृह, अनाथालय, ट्रांसजेण्डर, एकलनारी, विधवा/परित्यक्ता, अल्पसंख्यक, वंचितवर्ग के राज्य के निवासी जैसे सांसी, बेडिया, नट, गाड़ियालुहार/घुमंतु/अर्धघुमन्तु, कंजर, सहरिया, गरासिया, डामोर, कथोडी आदि, अवैध शराब बनाने वाले समुदाय, भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति, सफाईकर्मी, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी।

आयु सीमा :-

- आयु 15-45 वर्ष।
- जेल आवासीयों, किसानों, भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति, ट्रांसजेण्डर, एकलनारी, विधवा/परित्यक्ता, के लिये आयुसीमा 15 से 50 वर्ष
- विशेष योग्य जन के लिये आयु सीमा 15 से 45 वर्ष होगीं।

प्रशिक्षण की दैनिक अवधि (Daily Training Hours) :- योजनान्तर्गत वंचित समुदायों की आर्थिक सामाजिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए दैनिक प्रशिक्षण अवधि 2 -6 घंटे प्रतिदिवस (गैर आवासीय) एवं 8 घंटे प्रतिदिवस (आवासीय) होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्यमिता विकास एवं सॉफ्ट स्किल हेतु 30 घंटे एवं कम्प्यूटर शिक्षा हेतु 20 घंटे के पाठ्यक्रम का प्रावधान। किशोरगृह/बालिकागृह में उद्यमिता विकास एवं सॉफ्ट स्किल हेतु 40 घंटे के पाठ्यक्रम का प्रावधान।

(क्रमशः)

मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण (Assessment & Certification) :- प्रशिक्षणार्थियों के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान का आंकलन प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियुक्त आंकलनकर्ता (Assessor) द्वारा किया जाएगा।

प्रशिक्षण पंजीयन शुल्क (Assessor) :- प्रशिक्षण पंजीयन निःशुल्क है, आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को निगम से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रशिक्षण किट का प्रावधान।

सक्षम (SAKSHM)

स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान

इस योजना का गठन प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये किया गया। इस योजना का संचालन सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता।सक्षम योजना का कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान रहेगा। योजनान्तर्गत राज्य में स्वरोजगार/ लघु उद्यम स्थापित करने के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 28 सेक्टर्स में 133 प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे प्रशिक्षण दिया जाना है।

योजना के लाभार्थी (Benificiaries of Scheme) :- सक्षम योजना राज्य के समस्त ऐसे युवा/महिलाओं के लिये है जो किसी विद्यालय/कॉलेज के नियमित छात्र/छात्रा ना हो एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वंय का व्यवसाय या सामूहिक रुप से कोई स्वरोजगार गतिविधि करने के इच्छुक है।

आयुसीमा :- आयु 15-45 वर्ष

प्रशिक्षण की दैनिक अवधि (Daily Training Hours) :- योजनान्तर्गत वंचित समुदायों की आर्थिक सामाजिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए दैनिक प्रशिक्षण अवधि 4-6 घंटे प्रति दिवस (गैर आवासीय) एवं 8 घंटे प्रतिदिवस (आवासीय) होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्यमिता विकास एवं सॉफ्ट स्किल हेतु 30 घंटे एवं कम्प्यूटर शिक्षा हेतु 20 घंटे के पाठ्यक्रम का प्रावधान ।

मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण (Assessment - Certification) :- प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता जांचने हेतु निगम द्वारा सूचिबद्ध/ स्वीकृत एजेन्सी/ काउन्सिल/ संस्थान द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण।

प्रशिक्षण पंजीयन शुल्क (Training Registration Fee) एवं टूलकिट :- सामान्य पुरुष श्रेणी के लिये 400 रुपये एवं अन्य सभी श्रेणियों यथा महिला, एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि के लिये 200 रुपये पंजीयन शुल्क। आवासीय एवं गैरआवासीय प्रशिक्षणकार्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में टूलकिट का प्रावधान किया गया है।

List of Sectors under SAKSHM / SAMARTH

S. No.	Name of Sectors
1	AGRICULTURE & HORTICULTURE
2	ALLIED HEALTH CARE
3	ANIMAL HUSBANDRY AND ALLIED
4	APICULTURE
5	AUTOMATIVE REPAIR
6	BAMBOO FABRICATION
7	BEAUTY CULTURE & HAIR DRESSING
8	CARPET
09	ELECTRICAL
10	ELECTRONICS
11	FASHION DESIGN
12	FOOD PROCESSING & PRESERVATION
13	GARMENT MAKING
14	HANDICRAFT & LOCAL RESOURCE BASEDSKILLS
15	HOME DECOR-ART JEWELLERY
16	HOSPITALITY
17	INDIAN CULTURE
18	INDIAN SWEETS, SNACKS & FOOD
19	INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
20	JUTE DIVERSIFIED PRODUCTS
21	MEDICAL AND NURSING
22	CONSTRUCTION
23	PAINT
24	PAPER PRODUCTS
25	PRINTING
26	TOY MAKING (SOFT TOYS)
27	MULTI SKILLS
28	MISCELLANEOUS

'इंदिरा महिला शक्ति-कौशल सामर्थ्य योजना' (आई. एम. शक्ति)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं निदेशालय महिला अधिकारिता के संयुक्त प्रयासों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण को समर्पित 'इंदिरा महिला शक्ति-कौशल सामर्थ्य योजना' (आई.एम.शक्ति) योजना का शुभारम्भ गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया।

'आई.एम. शक्ति योजना' के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को समाज में बराबरी का हक मिले एवं उनकी भागीदारी बढ़े एवं आर्थिक रूप से सशक्त होकर सम्मान के साथ जीवनयापन कर सके। इस योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को उधम रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने, उनके कौशल विकास के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

'आई.एम.शक्ति योजना' के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे बेसिक ऑफ ब्यूटी एण्ड हेयर ड्रेसिंग, मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, इंटीग्रेटेड कोर्स इन हेयर, स्किन एण्ड मेकअप, टेलरचिल्ड्रन, टेलर (बेसिक सविंग ऑपरेटर), बेसिक फूड प्रिजर्वेशन, मोबाइल रिपेयरिंग का चयन किया गया, जिनकी प्रशिक्षण अवधि 34 से 117 दिन है तथा इस योजना के अंतर्गत जिले की माँग के अनुरूप भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन प्रस्तावित किया गया है।

'आई.एम. शक्ति योजना' के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई तथा इस योजना के अंतर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर आवासीय आयोजित किये जायेंगे।

इस योजना के अंतर्गत, समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु पूर्ण रूप से निशुल्क रहेंगे।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : संयुक्त विज्ञापन सं. 02/भर्ती/Lecturer/M.M.M./EP-I/2021-22 **दिनांक : 12.07.2021**

आयोग द्वारा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के लिए राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्यौपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के अन्तर्गत विभिन्न 10 विषयों में लेक्चरर **(Lecturer)** के कुल 13 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार है :–

Post S.No.	Name of Subject	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
			सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
1	काय चिकित्सा (Kayachikitsa)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	द्रव्यगुण विज्ञान (Dravyaguna Vigyan)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	रचना शरीर (Rachna Sharir)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	शल्य तंत्र (Shalya Tantra)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग (Prasuti Tantra & Stri Roga)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	क्रिया शरीर (Kriya Sharir)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	अगद तंत्र (Agad Tantra)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	शालाक्य तंत्र (Shalakya Tantra)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	पंचकर्म (Panchkarma)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	रोग निदान (Rog Nidan)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	**13**	**10**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abbreviations Used : Gen. – General, UR- Unreserved, SC – Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC – Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS – Economically Weaker Sections

नोट :–

1. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यताएं:

1. (A) A degree in Ayurved from a University established by law in India or a statutory Board/Faculty/Examining body or Indian Medicine or its equivalent as recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970. and

(B) A Post-graduate qualification in the subject/specialty concerned included in the Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.

Note: (i) In absence of the candidate of post-graduate qualification in concerned subject the candidate of the following subjects as mentioned against them shall be eligible for the post of Lecturer for five years from the date of commencement of the Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service (Amendment) Rules, 2013 Namely:-

Speciality Required	Name of the allied Subject
1. Swasthavritta	1. Kayachikitsa
2. Agadtantra	2. Dravyaguna/Rasshastra
3. Rog Vigyan	3. Kayachikitsa
4. Rachna sharir	4. Shalya
5. Kriya Sharir	5. Samhita Sidhanta
6. Shalakya	6. Shalya
7. Panchkarma	7. Kayachikitsa
8. Balroga	8. Prasuti & Striroga/Kayachikitsa
9. Kayachikitsa	9. Manasroga
10. Shalya	10. Nischetna evam ksha-kirana

नोट :– उक्त नोट (i) का अंकन आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के पत्र दिनांक 07.04.2021 में लिये गये प्रशासनिक निर्णय अनुसार किया गया है।

(2) Working Knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthan Culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। नोट :– 1.साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है। 2.अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करते समय आयुर्वेद वाचस्पति द्वितीय खण्ड परीक्षा में सम्मिलित होने का साक्ष्य (परीक्षा प्रवेश पत्र/संबंधित संस्था प्रधान द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं साक्षात्कार से पूर्व आयुर्वेद वाचस्पति द्वितीय खण्ड परीक्षा उत्तीर्ण होने का साक्ष्य (अंकतालिका/प्रोविजनल डिग्री) प्रस्तुत करने की स्थिति में ही योग्य/पात्र समझा जावेगा।
पे मैट्रिक्स लेवल	पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या L-14 नोट :– राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मसिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष से कम।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाई गई वर्गवार की रिक्तियों के अनुसार विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years

(क्रमशः)

3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections (E.W.S.) of Rajasthan State	10 वर्ष TenYears
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला Widow and divorcee Women **Explanation :-** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	रिजर्विस्ट अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानान्तरण कर दिया गया हो, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। The upper age limit shall be 50 years in the case of reservists, namely the Defence Service personnel who were transferred to the Reserve.	
6.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for an appointment under these Rules.	
7.	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा छूट में होगी। In the case of other ex-prisoners, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served by him provided he was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.	
8.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे। A person appointed temporarily to the post in the service shall be deemed to be within the age-limit had he been within the age-limit when he was initially appointed even though he has crossed the age limit when he appears finally before the Commission and shall be allowed upto two chances had he been eligible as such at the time of his initial appointment.	
9.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidates shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
10.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers & Short Service Commissioned Officers after release from Army shall be deemed to be within the age-limit even though they have crossed the age-limit when they appear before Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
11.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years to Ex-servicemen. Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules. Provided that permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	

नोट –

(1) उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।

(3) पद क्रम संख्या 1 से 5 तक के पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 1997-98 में विज्ञापित किये गये थे। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2022 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट** देय होगी। पद क्रम संख्या 6 से 10 तक के पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किये जाने के कारण के कारण उक्त अधिसूचना अनुसार अधिकतम आयु सीमा में कोई अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी।

(4) राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

संवीक्षा परीक्षा में प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत भारांक की गणना Marks Secured in Screening Test × 40 / Total Marks of Screening Test	अकादमिक का भारांक	साक्षात्कार का भारांक	कुल पूर्णांक
40 अंक	20 अंक	40 अंक	100 अंक

संवीक्षा परीक्षा का स्थान व माह	संवीक्षा परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार **(Objective Type)** के होंगे। संवीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 16.07.2021 से दिनांक 04.08.2021 रात्रि 12:00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। 2. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। 3. Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। 4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा। 5. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। 6. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 8. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक **(Application I.D.)** अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के **Preview** को आवेदन **Submit** नहीं माना जायेगा। 9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। 10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। 11. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। 12. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंवे। 13. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 300/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ऑनलाईन संशोधन के तहत् आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जावेगा। आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त केटेगरी जोड़ना चाहते है, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार के अंतिम परिणाम घोषणा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। परीक्षा के प्रत्येक चरण के मूल परिणाम (मूल परिणाम से तात्पर्य प्रथम बार जारी परिणाम से होगा ना कि अन्य किसी रिशफल परिणाम से) से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे। किसी भी स्थिति में किसी चरण के परिणाम घोषणा के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों में पूर्व घोषित परिणाम में संशोधन नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण के परिणाम में मूल कैटेगरी में उत्तीर्ण है एवं बाद में विधवा/परित्यक्ता/विकलांग हो गए हो तो **उन्हें अगले चरण की परिणाम घोषणा की तिथि तक इस श्रेणी का लाभ देय होगा।**
3. प्रथम चरण की परीक्षा आयोजन के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिवस का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी नाम, परीक्षा केन्द्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं विषय के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाईन कर सकेंगे। उक्त अवधि में संशोधन नहीं किये जाने पर यदि कोई त्रुटि रहती है तो अभ्यर्थी का स्वयं का दायित्व होगा व इसके पश्चात् अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। सभी संशोधनों हेतु शुल्क रूपये 300/- निर्धारित है।
4. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्क:-

(क) सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :- रुपये 350/-
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :- रुपये 250/-
(ग) निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु – रुपये 150/-
(घ) टी.एस.पी क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु :- रुपये 150/-

नोट :-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जावेगी।
3. **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**
4. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।** साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
5. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञप्ति पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।
6. आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
7. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। **परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है।** आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।** आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
8. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जावेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात्/प्रत्येक चरण की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। **साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**
9. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं **अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो।** साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जावेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
10. आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जावेगी।
11. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
12. परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम. आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।
13. परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।
14. प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
15. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
16. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
17. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जावेंगे, उन्हे उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(क्रमशः)

रोजगार शिविर के माध्यम से मिली सफलता

प्रार्थी का नाम - श्री यशवर्धन सिंह चौहान

सक्सेस स्टोरी

मेरा नाम यशवर्धन सिंह चौहान है। मैं डूँगरपुर जिले की गलियाकोट तहसील के गाँव झौसावा का निवासी हूँ। मैंने सन् 2017 में उदयपुर से अपनी बी.एससी. की पढ़ाई को पूरा किया। 2019 में अपनी बी.एड. की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात् मैंने राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर दिया। अपने ग्रेजुएशन के पश्चात् ही मैं सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास करने लगा। मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। जिसमें मुझे राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की बहुत सहायता मिली। परीक्षा के आवेदन फॉर्म की फीस अच्छी किताबों से लेकर परीक्षा देने परीक्षा केन्द्र तक जाने हेतु वाहन किराया आदि को मैंने अपने बेरोजगारी भत्ते की मदद से पूरा किया।

इस तरह माता-पिता एवं गुरूजनों के आशीर्वाद सहित राज्य सरकार की तरफ से दिये जाने वाले बेरोजगारी भत्ते की सहायता से मैंने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 को अच्छे प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण कर टी.एस.पी. मैरीट के साथ-साथ राज्य मैरीट में भी स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार आज मैं कनिष्ठ सहायक के पद पर जिला आबकारी कार्यालय, डूंगरपुर में 15 जून, 2020 से कार्यरत हूँ। 15 जून को पद पर नियुक्ति के दिन ही मैंने जिला रोजगार कार्यालय, डूंगरपुर जाकर अपने बैरोजगारी भत्ते को प्रार्थना पत्र देकर बंद करवाया। अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने अपने माता-पिता और गुरूजनों को देता हूँ। इसके साथ-साथ राज्य सरकार को भी उनके द्वारा दिये गये बेरोजगारी भत्ते के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

यशवर्धन सिंह

* * * समसामयिकी पर आधारित प्रशोनत्तरी * * *

1. 3 जुलाई को 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस' मनाया गया। इस बार का ध्येय वाक्य क्या है ?
   (अ) बेहतर पुनर्निर्माण के लिये एक साथ
   (ब) सहकारिता की भावना
   (स) एक सबके लिए सब एक के लिए
   (द) सहयोग, सदभाव, सहकार
2. प्रदेश की प्रथम सी.एन.जी. आधारित रोडवेज का संचालन किस जिले के डिपो से किया जा रहा है ?
   (अ) अजमेर डिपो (ब) जयपुर डिपो
   (स) बारां डिपो (द) इनमें से कोई नहीं
3. राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद् की बैठक में युवाओं तथा बेरोजगारों के लिए किस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।?
   (अ) भामाशाह रोजगार योजना
   (ब) राजीव गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
   (स) बेरोजगारी भत्ता योजना
   (द) इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
4. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में दिवंगत विधायकों के नाम पर कॉलेज खोलने के नियम के अनुसार किरण माहेश्वरी के नाम से कन्या महाविद्यालय इस सत्र से किस जिले में प्रारंभ हो रहे है ?
   (अ) उदयपुर (ब) राजसमंद
   (स) भीलवाड़ा (द) अजमेर
5. राज्य सरकार ने राज्य में कार्यरत और सेवानिवृत कार्मिकों के लिए कितने करोड़ रुपए के 'कर्मचारी कल्याण कोष' के गठन को मंजूरी प्रदान की है ?
   (अ) 1000 करोड़ (ब) 2000 करोड़
   (स) 3000 करोड़ (द) इनमे से कोई नहीं
6. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बाँस की खेती हेतु कौनसा प्रोजेक्ट चलाया गया है ?
   (अ) प्रोजेक्ट बेम्बू (ब) प्रोजेक्ट बाँस
   (स) प्रोजेक्ट बाँस मिशन (द) प्रोजेक्ट बॉल्ड
7. पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राज्य में नई 'ईको टूरिज्म पॉलिसी- 2021' किस विभाग द्वारा प्रभावी की जा रही है ?
   (अ) पर्यटन मंत्रालय (ब) राज्य पर्यटन विकास निगम
   (स) वन व पर्यावरण विभाग (द) नगर विकास प्राधिकरण
8. कोरोना काल में 'महात्मा गाँधी रोजगार गारन्टी योजना' के तहत रोजगार देने में प्रदेश में कौनसा जिला अव्वल रहा है ?
   (अ) राजसमन्द (ब) प्रतापगढ़ (स) बाँसवाड़ा (द) उदयपुर
9. हाल ही में प्रदेश में पहली बार गंगासिंह विश्वविद्यालय में एक दिन की कुलपति किसे बनाने की घोषणा ही है ?
   (अ) महेन्द्र सिंह (ब) सुमन स्वामी
   (स) साक्षी सैनी (द) खुशी सिंह
10. राजस्थान की पहली 'ओ.डी.एफ. प्लस' ग्राम पंचायतें व गाँव कौनसा है ?
    (अ) देलवाड़ा (ब) केलवाड़ा (स) जाहोता (द) उपर्युक्त सभी
11. हाल ही में भारत के नए 'स्वास्थ्य मंत्री' कौन बने है?
    (अ) किरेन रिजिजू (ब) मनसुख मंडाविया
    (स) सर्वानंद सोनावाल (द) कोई नहीं
12. हाल ही में कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित होगा?
    (अ) शिमागा (ब) बल्लारी
    (स) बालासोर (द) इनमें से कोई नहीं
13. हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या हुई है ?
    (अ) पेरु (ब) श्रीलंका (स) कोलंबिया (द) हूती
14. हाल ही में किस राज्य ने 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' को स्थगित किया है ?
    (अ) राजस्थान (ब) महाराष्ट्र
    (स) हरियाणा (द) इनमें से कोई नहीं
15. हाल ही में माधव मोघे का निधन हुआ है वे कौन थे ?
    (अ) लेखक (ब) गायक
    (स) मिमिक्री आर्टिस्ट (द) इनमें से कोई नहीं

- उत्तरमाला -

1(अ) 2(स) 3(ब) 4(ब) 5(स) 6(द) 7(स) 8(अ) 9(ब) 10(द) 11(ब) 12(ब) 13(द) 14(स) 15(स)

(पृष्ठ 6 का शेष)

4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण–पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।**
8. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण–पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा–निर्देशानुसार प्रमाण–पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण–पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा – राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक होना आवश्यक है।**
9. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान** – कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निरापेक्ष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरापेक्ष प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर–भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख–वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट दिनांक 30.10.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।
10. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानें पैदा होते है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदो हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन–पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :–

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित आवेदन–पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन–पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन–पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन–पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना–पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र/पत्र–व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चुंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन–पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र मे भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :–

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई–मित्र/अन्य स्त्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र मे आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन–पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :– **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय–समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(शुभम् चौधरी)
सचिव

डी.आई.पी.आर/सी/6862/2021 रा.रो.सं 13/2021

(पृष्ठ 4 का शेष)

'आई.एम.शक्ति-कौशल सामर्थ्य योजना' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की शेष अवधि में महिलाओं व बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु निगम द्वारा कुल 21 प्रशिक्षण प्रदाताओं के मध्य कुल 990 महिलाओं व बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है तथा वर्तमान में, कुल 466 महिला व बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणाधीन है।

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में, राज्य के समस्त जिलों में इस योजना का संचालन कर अधिक से अधिक महिलाओं व बालिकाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

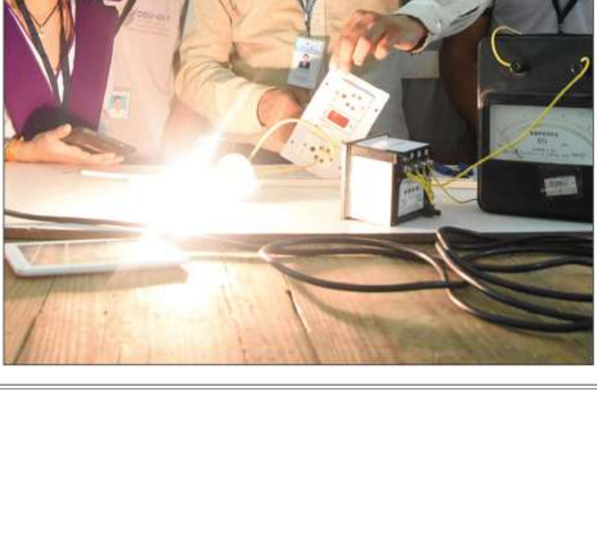

उद्देश्य :-

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम एवं वैश्विक स्तर पर कुशल बनाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने अंत्योदय दिवस पर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) की घोषणा 2014 में की थी।

DDU-GKY राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) के अनुसार विभिन्न विषयों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। DDU-GKY में कई अन्य क्षेत्रों क्रमशः कृषि, मोटर वाहन, सौंदर्य एवं कल्याण, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, हेल्थकेयर, रसद, खुदरा एवं पर्यटन तथा आतिथ्य जैसे उद्योगों व क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

पात्रता :-

15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हुये, बेरोजगार, श्रमिक भी प्रशिक्षण के पात्र हैं। महिलाऐं, विकलांग व्यक्तियों, मानव तस्करी के शिकार एवं अन्य कमजोर समूहों के लिए अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट है।

कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र :-

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक मानकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किये गये हैं। व्यावसायिक मानकों के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी विशेष कार्य भूमिका या कार्य को करने का इच्छुक है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होकर लाभांवित हो सकता है। डीडीयू-जीकेवाई के द्वारा NCVT (नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) या SSC (सेक्टर स्किल काउंसिल) द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। NCVT एवं /या SSC से प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र सरकार एवं निजी क्षेत्र के अधिकांश नियोक्ताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह प्रमाणपत्र युवाओं को उच्च वेतन के साथ नौकरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रशिक्षणार्थी 52 उद्योग क्षेत्रों में स्वयं की इच्छा से किसी भी क्षेत्र को चुन सकता है।

DDU-GKY की प्रगति :-

राजस्थान इस योजना को आरम्भ करने वाला देश का पहला राज्य है। RSLDC परियोजना को सातवाँ चरण प्रारम्भ कर रहा है। 1,22,800 के कुल लक्ष्य में से अब तक 64168 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना :- 3.0

पीएमकेवीवाई 3.0 भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख रोजगारपरक योजना है। इस कौशल प्रमाणित योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण के लिए सक्षम बनाना है, जिससे वे एक बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकें।

इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एमएसडीई ने जिले में मांग आधारित कौशल का संचालन करने के लिए जिला कौशल समिति का गठन किया है। यह योजना बेरोजगार, स्कूल, कॉलेज, ड्रॉप आउट युवाओं के लिए है, जिनकी उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच है।

उपरोक्त योजना के तहत राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) को द्वितीय वर्ष 2020-21 हेतु शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) के तहत 4022 युवाओं को प्रशिक्षित करने का भौतिक लक्ष्य मिला हैं, एवं आरपीएल के तहत 6600 का लक्ष्य आवंटित किया गया। उपरोक्त लक्ष्यों के विरूद्ध आरएसएलडीसी द्वारा 17.04.2021 तक 3614 युवाओं को (एसटीटी) एवं 5508 युवाओं को आरपीएल के तहत पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्रारंम्भ करवाये गया। दिनांक 19.04.2021 को महामारी के कारण प्रशिक्षण रूकवा दिये गए।

कोविड महामारी के विस्तार एवं गम्भीरता को देखते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में विशेष चिकित्सा ट्रेनिंग के माध्यम 1.00 लाख युवाओं को 6 कस्टोमाइज जॉब रोल्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

जॉब रोल्स निम्नानुसार है :-

1. इमरजेन्सी मेडिकल तकनीकी
2. जनरल डयूटी असिस्टेंट(जीडीए)
3. जीडीए एडवान्स (क्रिटिकल केयर)
4. होम हैल्थ एन्ड
5. मेडिकल उपकरण तकनीकी सहायक
6. फ्लेबोटोमिस्ट

(क्रमशः)

इस कार्यक्रम की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18.06.2021 को किया गया हैं। यह विशेष ट्रेनिंग क्रियान्वयन 02 तरीकों से किया जा रहा है।

1. आरपीएल ट्रेनिंग की अवधि 7 दिन की हैं।
2. फ्रेश स्किलिंग जिसमें 21 दिन का क्लॉस रूम ट्रेनिंग दिया जायेगा और इसके पश्चात् 3 महिने की ऑन जॉब ट्रेनिंग (OJT) प्रस्तावित हैं।

आरएसएलडीसी को कुछ विशेष ट्रेनिंग के तहत 4348 का लक्ष्य मिला है और ट्रेनिंग की शुरूआत पाली जिले में की जा चुकी हैं।

PMDAKSH
प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता सम्पन्न हितग्राही

1. **PMDAKSH** योजना के बारे में सामाजिक न्याय मंत्रालय (MoSJ) भारत के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वित्त विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) विभाग द्वारा प्रायोजित PMDAKSH योजना पिछड़े वर्ग के बीच तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन के लिए सामान्य मानदंडों की सुविधा के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण योजना को लागू कर रही है।

2. योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की पात्रता :-

PMDAKSH योजना एनबीसीएफडीसी के अंतर्गत आती है, यह योजना अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) गैर-अधिसूचित जनजाति (DNT) कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर और अन्य समान श्रेणियों सहित हाशिए के मजदूरों के लिए बनाई गई है।

3. कौशल कार्यक्रमों का वर्गीकरण

(अ) अप-स्किलिंग/पूर्वशिक्षा (आरपीएल) की मान्यता

(ब) अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी)

(स) दीर्घकालिक प्रशिक्षण (एलटीटी)

4. पाठ्यक्रमओं सूची :-

(क) स्व.रोजगार दर्जी

(ख) रिटेल सेल्स एसोसिएट्स

(ग) जनरल ड्यूटी असिस्टेंट

(घ) सिलाई मशीन ऑपरेटर

(च) फील्ड तकनीशियन अन्य घरेलू उपकरण

(छ) सैंपलिंग टेलर

(ज) बहु तकनीशियन (विद्युत)

5. वर्तमान स्थिति और लक्ष्य आवंटन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ने आरपीएल (पूर्वशिक्षा की मान्यता), एसटीटी (अल्पकालिक प्रशिक्षण) और एलटीटी (दीर्घकालिक प्रशिक्षण) के लिए आरएसएलडीसी को कौशल लक्ष्य दिया है, जो पिछड़े वर्ग के 480 युवा हैं।

नीचे दिये गए लक्ष्य का विभाजन किया गया है :-

(ए) आरपीएल (पूर्वशिक्षा की मान्यता) - 300

(बी) एसटीटी (अल्पकालिक प्रशिक्षण)- 60

(ग) एलटीटी (दीर्घकालिक प्रशिक्षण) - 120

17 दिसम्बर 2018 से 16 अप्रेल 2021 तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अर्जित उपलब्धियां

योजना का नाम	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	सकिय कौशल विकास केंद्र की संख्या	प्रशिक्षणरत् युवाओं की संख्या
DDU-GKY	22058	45	2770
ELSTP	33001	134	10829
IM Shakti	----	12	396
MMYKY	1314	8	2920
PMKVY	27922	2	120
PMKVY_3	60	34	3554
RSTP	24108	104	5788
WSSO	39193	----	----
RPL-PMKVY	8271	----	----
PM Daksh	200	5	236
Total	156127	344	26613

कोविड महामारी के कारण सभी प्रशिक्षण कार्यकम दिनांक 16 अप्रैल, 2021 से स्थगित हैं। MMYKY 2.0 योजना के अन्तर्गत 2500 प्रशिक्षणार्थी ऑन लाईन प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षणरत् हैं।

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आईटीआई)

आईटीआई का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना है। राज्य में डिप्लोमा स्तर ही तकनीकी शिक्षा के विकास एवं संचालन के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार 17 अगस्त 1956 को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। नवगठित **"कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग" (डीएसईई)** के अन्तर्गत आईटीआई की प्राथमिकता राजकीय एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगारपरक बनाता है।

उद्देश्य

1. प्रदेश के युवाओं में कौशल दक्षताओं का विकास कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका एवं रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
2. प्रदेश के गरीब ग्रामीण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसख्यंक एवं अन्य पिछड़ा

(क्रमशः)

वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके आजीविका एवं रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।

3. प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जहां कुशल मानव संस्थान अपर्याप्त है, उन क्षेत्रों में कुशल मानव संस्थान के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करवा कर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कराने के लिए संस्थानों से एमओयू कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
4. प्रदेश में राजकीय एवं निजी एजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
5. प्रदेश के युवाओं को अपना हुनर विकसित करने के लिए विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
6. प्रदेश में युवाओं की आजीविका निर्माण के लिए नीति निर्माण का कार्य करना।
7. आईटीआई से प्रशिक्षित अधिकाधिक युवाओं को रोजगार दिलवाने के प्रयास करना।

योजनाएं

युवाओं में कौशल प्रशिक्षण का बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटीआई द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें से मुख्य योजनाएं है:-

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) एवं राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) के निर्धारित व्यवसायों में नियमित, स्ववित्तपोशित योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर दक्ष कामगार तैयार करना है। इस योजना के अन्तर्गत अभियांत्रिकी व्यवसाय तथा गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सीटीएस योजना के अन्तर्गत संचालित व्यवसायों में ट्रेड थ्यौरी, ट्रेड प्रेक्टिकल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कराया जाता है। वर्तमान में राज्य में 260 राजकीय एवं 1711 निजी आईटीआई सहित कुल 1971 आईटीआई स्वीकृत है। इनमें 92 व्यवसाय स्वीकृत है।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
(APPRENTICESHIP TRAINING SCHEME)

परिचय

- किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए मानव संसाधन का कौशल उन्नयन महत्वपूर्ण है। युवाओं को प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल कारीगर तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू की गई है।
- शिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत नियोक्ता किसी व्यक्ति को अनुबन्ध के अनुसार निश्चित अवधि हेतु किसी अधिसूचित अथवा वैकल्पिक व्यवसाय में प्रशिक्षित कर सकता है।
- 30 से अधिक कार्मिक (संविदा कर्मियों सहित) नियुक्त करने वाले प्रत्येक नियोजक को कार्मिकों की कुल संख्या का न्यूनतम 2.5 प्रतिशत एवं अधिकतम 15 प्रतिशत संख्या तक शिक्षुओं की नियुक्ति करना अनिवार्य है। 4 से 30 तक कार्मिक नियुक्त करने वाले नियोजकों के लिये यह वैकल्पिक रखा गया है।
- शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक शिक्षु को निर्धारित वृत्तिका (Stipend) भी दी जाती है।

उद्देश्य

शिक्षुता अधिनियम, 1961 निम्न उद्देश्यों के लिए लागू किया गया-

1. केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवम् प्रशिक्षण अवधि के लिए अधिसूचित व्यवसाय में शिक्षुओं को प्रतिष्ठान में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिलवाना।
2. प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सम्पूर्ण सुविधाओं का उपयोग करते हुए प्रतिष्ठानों की आवश्यकतानुरुप कुशल कारीगर तैयार करना।

प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित व्यवसाय

- 262 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
- नियोजक स्वयं के स्तर पर भी आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवसाय का निर्धारण कर सकता है।

प्रवेश हेतु आयु सीमा

- 14 वर्ष या इससे अधिक (उच्च आयु सीमा नहीं)

प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता

- अधिसूचित व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं/10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- आई.टी.आई, PMKVY/MES-SDIS, Dual Training mode from ITI को प्रशिक्षण अवधि में नियमानुसार छूट।

प्रशिक्षण अवधि

- अधिसूचित व्यवसायों में न्यूनतम 6 माह से 3 वर्ष तक।

प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली वृत्तिका

S.no.	Category	Minimum Stipend
(1)	1 School pass-out (class 5th – class 9th)	5000/- per month
(i)	School pass-out (class 10th)	6000/- per month
(ii)	School pass-out (class 12th)	7000/- per month
(iii)	National or State Certificate holder	7000/- per month
(iv)	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students form Diploma Institutions)	7000/- per month
(v)	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	8000/- per month
(vi)	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	9000/- per month
(vii)	(i) 25% of prescribed stipend subject to a maximum of Rs. 1500/- per month per apprentice for all apprentices is reimbursed to employer.	

(क्रमशः)

शिक्षुता परीक्षा एवं प्रमाण-पत्र

- प्रशिक्षण की समाप्ति पर शिक्षुओं के लिए अखिल भारतीय शिक्षुता परीक्षा का आयोजन किया जाता है जो कि वर्ष में दो बार होता है।
- परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ओर से **"राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र"** प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण-पत्र निजी/राजकीय क्षेत्र के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने हेतु मान्य होता है।

शिक्षु कौशल प्रतियोगिता

- राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षु को क्षेत्रीय शिक्षुता प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम व द्वितीय आने पर क्रमशः रूपये 10,000 व 5,000 का पुरस्कार व मैरिट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
- क्षेत्रीय शिक्षुता प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय आने वाले शिक्षुओं को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम व द्वितीय आने पर क्रमशः रूपये 50,000 व 25,000 का पुरस्कार व मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

रोजगार एवं स्व:रोजगार के अवसर

- निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में,
- राजकीय विभागों एंव उपक्रमों में यथा रेलवे, रोड़वेज, होटल, मेडिकल एण्ड हेल्थ, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी. एवं रा.रा.वि.वि.नि.लि. इत्यादि,
- प्रशिक्षण उपरान्त स्व-रोजगार भी शुरू कर सकते है। बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना

- योजना का मुख्य उद्धेश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना एवं शिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करना है।
- नियोजकों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये है :-
  1. प्रत्येक शिक्षु को दी जाने वाली वृत्तिका का 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1500 प्रति शिक्षु प्रति माह) का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
  2. फ्रेशर शिक्षुओं की बेसिक टेनिंग हेतु रू. 7500 प्रति शिक्षु (अधिकतम 500 घण्टे/3 माह) का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
- नियोजकों की सुविधा के लिये भारत सरकार ने ऑन-लाईन पोर्टल **(www.apprenticeship.gov.in)** उपलब्ध कराया है जिस पर नियोजक एवं शिक्षु पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। ऑन-लाईन प्रक्रिया के कारण त्वरित एवं पारदर्शी कार्य व्यवस्था लागू हो गई है। पोर्टल निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करता है :-

नियोजकों के लिये -

- **ऑन-लाईन पंजीकरण करने की सुविधा**
- **स्वयं द्वारा व्यवसाय का चयन एवं सीट्स का निर्धारण**
- **चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का प ोर्टल पर विवरण उपलब्ध**
- **नियुक्ति का ऑफर ऑन-लाईन जारी करने की सुविधा**
- **अनुबन्ध पत्र ऑन-लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा**
- **रिकॉर्ड एवं रिटर्न्स ऑन-लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा**
- **ऑन-लाईन क्लेम प्रस्तुत करने की सुविधा**
- **ऑन-लाईन भुगतान प्राप्त करने की सुविधा**

अभ्यर्थियों के लिये -

- **ऑन-लाईन पंजीकरण करने की सुविधा**
- **ऑन-लाईन एक से अधिक नियोजकों को आवेदन करने की सुविधा**
- **ऑन-लाईन नियोजकों से ऑफर प्राप्ति एवं स्वीकार करने की सुविधा**
- **अनुबन्ध की कार्यवाही ऑन-लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा**
- **बेसिक ट्रेनिंग प्रदाता की ऑन-लाईन जानकारी की सुविधा**

रोजगार विभाग

विभाग की गतिविधियाँ

रोजगार विभाग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों को उनकी आवश्यकतानुसार योग्य आशार्थी उपलब्ध कराता है। विभाग बेरोजगारों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उपयुक्त रोजगार तथा स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता करता है। विभाग बेरोजगार को निकटतम रोजगार कार्यालय से तकनीकी, व्यावसायिक, स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण एवं अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन की सुविधा देता है। रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए विभाग द्वारा पाक्षिक समाचार पत्र **"राजस्थान रोजगार सन्देश"** प्रत्येक माह की एक तथा पन्द्रह तारीख को प्रकाशित करता है।

विभाग द्वारा संचालित रोजगार कार्यालयों में रोजगार परामर्श केन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों में आशार्थियों को रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण के संबंध में व्यावसायिक, शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं अन्य उपयोगी सूचनाऐं प्राप्त होती है।

उद्देश्य

- ➔ सार्वजनिक एवं निजी नियोजकों को उनकी मांग के अनुरूप प्रशिक्षित एवं कुशल आशार्थी उपलब्ध करवाना
- ➔ बेरोजगारों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उपयुक्त रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता

कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता शिविर

- सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण विभाग द्वारा रोजगार शिविर के माध्यम से युवक-युवतियों को अधिक से अधिक संख्या में निजी क्षेत्र में नियोजित करवाने के प्रयास किए जाते हैं। कौशल, आईटीआई तथा रोजगार विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास से इन शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी बन चुका है।
- रोजगार सहायता शिविरों के लिये रोजगार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र के विभिन्न नियोजकों से रिक्तियाँ प्राप्त कर उनके अनुरूप योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को शिविर में आमंत्रित किया जाता है। इन शिविरों में बेरोजगार एवं नियोजक के मध्य संवाद स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है।
- इन शिविरो में युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में कौशल प्रशिक्षण की ओर अभिप्रेरित करने की दृष्टि से स्किल आईकन को आमंत्रित किया जाता है साथ ही शिविर में आये युवाओं की कॅरियर काउंसलिंग भी की जाती है।
- वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा फिजिकल रूप से कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता सहायता शिविर का आयोजन करवाना संभव नहीं होने के कारण विभाग द्वारा वर्चुअल/डिजिटल/ऑनलाईन शिविरों

(क्रमशः)

रोजगार के अवसर

(संक्षिप्त जानकारी)

बैंक ऑफ बड़ौदा
पद - सुपरवाइजर
पद संख्या - कुल 05 पद
अंतिम तिथि - 29 जुलाई, 2021
www.bankofbaroda.in

आइआइटीएम
पद - प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III आदि
पद संख्या - कुल 156 पद
अंतिम तिथि - 01 अगस्त, 2021
https://www.tropmet.res.in

आइजीएम, कोलकाता
पद - सुपरवाइजर व अन्य
पद संख्या - कुल 07 पद
अंतिम तिथि - 20 जुलाई, 2021
https://igmkolkata.spmcil.com/

एटीईपीएफओ
पद - जूनियर असिस्टेंट आदि
पद संख्या - कुल 25 पद
अंतिम तिथि - 14 अगस्त, 2021
https://atepfo.in/

आइआइएम, जम्मू
पद - प्रोग्राम मैनेजर व अन्य
पद संख्या - कुल 07 पद
अंतिम तिथि - 25 जुलाई, 2021
www.iimj.ac.in

सीआइपीईटी
पद - चीफ मैनेजर आदि
पद संख्या - कुल 08 पद
अंतिम तिथि - 31 जुलाई, 2021
http://www.cipet.gov.in/

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
पद - जनरल मैनेजर अदि
पद संख्या - कुल 53 पद
अंतिम तिथि - 30 अगस्त, 2021
http://www.hslvizag.in/

एमपीपीएससी
पद - चिकित्सा अधिकारी
पद संख्या - कुल 576 पद
अंतिम तिथि - 23 जुलाई, 2021
https://mppsc.nic.in/

(पृष्ठ 11 का शेष)

का आयोजन प्रारम्भ किया जा रहा है।

1. दिसम्बर, 2018 से जून, 2021 तक 658 कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविर आयोजित कर 69167 आशार्थियों को लाभांवित किया गया। इसमें 46829 आशार्थियों का प्रारंभिक चयन भी सम्मिलित है।

रोजगार शिविर के माध्यम से मिली सफलता

प्रार्थी का नाम - श्री जुगल किशोर

सक्सेस स्टोरी

मेरा नाम जुगल किशोर है। कोरोना महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन के खुल जाने के बाद से नौकरी की तलाश में था। एक दिन फोन से पता चला मॉडल कैरियर सेंटर, अलवर एवं जिला रोजगार कार्यालय, अलवर द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैंने फोन के द्वारा यंग प्रोफिशनल श्री तारा अमित से जानकारी प्राप्त की और अपना रजिस्ट्रेशन एनसीएस पोर्टल में करवाया। फिर ऑनलाइन रोजगार मेले में भाग लिया। मेरा हेल्पर के पद पर हुआ है। इस कठिन समय में मेरी मदद करने के लिए, मैं मॉडल कैरियर सेंटर, अलवर एवं जिला रोजगार कार्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ।

प्रार्थी का नाम - श्री जितेंद्र कुमार

सक्सेस स्टोरी

मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कोरोना महामारी के कारण होने वाले लॉकडाउन के खुल जाने के बाद से नौकरी की तलाश में था। एक दिन फोन से पता चला मॉडल कैरियर सेंटर, अलवर एवं जिला रोजगार कार्यालय, अलवर द्वारा ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मैंने फोन के द्वारा यंग प्रोफिशनल श्री तारा अमित से जानकारी प्राप्त की और अपना रजिस्ट्रेशन एनसीएस पोर्टल में करवाया। फिर ऑनलाइन रोजगार मेले में भाग लिया। मेरा ट्रेनी के पद पर हुआ है। इस कठिन समय में मेरी मदद करने के लिए, मैं मॉडल कैरियर सेंटर, अलवर एवं जिला रोजगार कार्यालय का आभार व्यक्त करता हूँ।

वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण फिजीकली जॉब फेयर आयोजित करना संभव नहीं होने के कारण विभाग द्वारा ऑनलाइन/ डिजीटल/वर्चुअल जॉब फेयर आयोजन करने संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 11.5.20 जारी किये जा चुके है।

2. जिसके फलस्वरूप मई, 2020 से जून 2021 तक 289 ऑनलाइन/ डिजीटल/ वर्चुअल जॉब फेयर आयोजन कर कुल 11188 आशार्थियों को लाभांवित किया गया।

योजनाएं

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना

- 1 फरवरी, 2019 से लागू इस योजना के अन्तर्गत पात्र बेरोजगार पुरूष आशार्थियों को 3000 रूपये प्रतिमाह व महिला एवं विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) प्रार्थियों को 3500 रूपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने तक, जो भी पहले हो, दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत प्रथम बार ट्रांसजेण्डर श्रैणी के आशार्थियों को भी महिलाओं के समान इस योजनान्तर्गत लाभांवित किया जा रहा है। योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी विभागीय वेबसाईट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1 फरवरी 2019 से माह मई 2021 तक कुल लाभांवित - 2,51,984
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1 फरवरी 2019 से माह मई 2021 तक कुल वितरित की गई राशि - 995.33 करोड़ रूपये

नेशनल कॅरियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल

- नियोजको, सेवाप्रदाताओ, बेरोजगार आशाथियों इत्यादि के रूप में समस्त हितधारकों को एक समान मंच प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई, 2015 को एनसीएस पोर्टल का लोकार्पण किया गया था।
- इसके माध्यम से बेरोजगार आशाथियों को ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन इत्यादि व नियोजकों को शिविर में आवेदन करने में भी सरलता एवं सुगमता हुई है।

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश
मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगूजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
ई-मेल: adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्त्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.बी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन- 0141-3981148 (भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड, जयपुर) से मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-हरी राम बडगूजर